# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0 186/2024

तारीख दायरा 24.01.2024

तारीख फैसला 24/12/25

पीठासीन अधिकारी— दीपक महावर (आर.ए.एस.)

## उनवान

1— रामस्वरूप आत्मज रामकिशन जाति धाकड निवासी बरगू तहसील दीगोद

बनाम (वादी)

1—सत्यनारायण आत्मज रामकिशन
2— रामनारायण आत्मज रामकिशन
3— कुन्जबिहारी आत्मज रामकिशन
4—मन्जू बाई पुत्री रामकिशन
5—सोसरबाई पुत्री रामकिशन
6— रामकन्या उर्फ कन्याबाई पुत्री रामकिशन
7—बलराम आत्मज ग्यारस्या
8—नन्द किशोर आत्मज ग्यारस्या
9— अयोध्या बाई उर्फ अजोध्या बाई पुत्री ग्यारस्या
10— कान्ही बाई उर्फ खानी बाई पुत्री ग्यारस्या जाति धाकड निवासी बरगू तहसील दीगोद
11— दाखां पत्नि सुरजमल (मृतक)
12— पार्वती पुत्री सुरजमल
13—सोहनलाल पुत्र सुरजमल
14—राजेन्द्र प्रसाद पुत्र सुरजमल
15—राधेश्याम पुत्र सुरजमल
16— बूची उर्फ गुलाबबाई पुत्री लक्ष्मीनारायण
17— बिरधीलाल आत्मज लक्ष्मीनारायण
18— भीमराज आत्मज लक्ष्मीनारायण
19— मोडूलाल आत्मज लक्ष्मीनारायण
20— सुगना पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति धाकड निवासी ढंगावद तहसील दीगोद
21— ममता पुत्री लटूरलाल
22— रेखा पुत्री लटूरलाल
23— सुमित्रा पुत्री लटूरलाल
24— श्यामबाई पुत्री लटूरलाल
25—हंसराज पुत्र लटूरलाल जाति धाकड निवासी भाडाहेडा तह० दीगोद
26— मुरलीधर आत्मज रामनाथ जाति धाकड निवासी ढंगावद तह० दीगोद

27- अमरलाल आत्मज ओगडी लाल
28- किशनगोपाल आत्मज ओगडीलाल
29- बाबूलाल आत्मज ओगडीलाल
30- मूर्ति पुत्री ओगडीलाल
31- सुगना पुत्री ओगडीलाल
32- स्यानी बाई पत्नि ओगडीलाल
33- लक्ष्मीनारायण आत्मज फून्दया जाति धाकड निवासी बरगू तहसील दीगोद।
34- राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार दीगोद।

(प्रतिवादीगण)

वादी की ओर से – श्री शिवप्रसाद शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से– श्री राम बाबू दाधीच एडवोकेट

## वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

### –:: निर्णय ::–

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है की ग्राम बरगू तहसील दीगोद में खाता न. 42 पर ख.न. 171 की 2.84 है० भूमि स्थित चली आ रही है। उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी न 1 ता 33 व मृतक कंवरी पत्नि फून्दंया के नाम शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2074–77 संलग्न है।

यह कि ग्राम बरगू तहसील दीगोद के खाता न. 41 पर निम्न खसरा नम्बरान की कुल 07 किता 6.06 है० भूमि स्थित चला आ रही है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2074–77 संलग्न है। ख.न. 121 की 2.93, ख.न. 248 की 0.39 है० ख.न. 249 की 0.14 है० ख.न. 265 की 0.16 है0 ख.न. 292 की 0.12 है० ख.न. 382 की 0.85 हे०ख.न. 384 की 1.47 है। कुल किता 07 की 6.06 है0

यह कि ग्राम बरगू तहसील दीगोद. जिला कोटा में खाता नं. 84 पर 112 की 1.00 है० भूमि स्थित चला आ रही है। उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी न. 1 ता 6 के नाम से शामलाती खाते में चला आ रही है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2074–77 संलग्न है।

यह कि ग्राम बरगू तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता नं. 40 पर निम्न खसरा नम्बरान की कुल 6 किता की 2.73 है0 भूमि स्थित चला आ रही है। उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी न. 1 ता 10 के नाम शामलाती खाते में दर्ज चला आ रही है। नकल जमाबंदी सम्वत 2074–77 संलग्न है। ख.न. 129 की 1.71 ख.न. 131 की 0.30.ख.न. 132 की 0.19. ख.न. 164 की 0.22.ख.न. 165 की 0.29. ख.न. 310/467 की 02 है० आराजी वर्तमान में वादी व प्रतिवादीगण के शामलाती खाते चला आ रही है तथा वादी व प्रतिवादीगण की आपसी सहमति से भूमियो का नाजन हो रहा है जिसके अनुसार मौके पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है।

यह कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य कहता लगान जमा ककराने मे विवाद होने पर वादी ने उक्त भूमियो का विभाजन कर वादी के अलग खाते दर्ज कराने को दिनांक 11.01.2024 को कहा तो प्रतिवादीगण नाराज हो गये और विभाजन से इंकार कर दिया व कब्जे काश्त में व्यवधान करने की धमकी दी जाने से वादकरण पैदा होने पर वाद प्रस्तुत किया गया है।

अतःवाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि विवादित आराजीयात् को बिना विभाजन करवाये रहन, बेचान, दान, अन्तकरण व खुर्द–बुर्द नही करे। उक्त कृत्य न तो स्वंय करे और न अपने प्रतिनिधि द्वारा करावे।

वादी की ओर से निम्न दस्तावेज पेश किये गये:'

1ए नकल जमाबंदी ग्राम बरगू संवत 2074–2077 खाता सं0 नया 42
2ए नकल जमाबंदी ग्राम बरगू संवत 2074–2077 खाता सं0 नया 41
3ए नकल जमाबंदी ग्राम बरगू संवत 2074–2077 खाता सं0 नया 84
4ए नकल जमाबंदी ग्राम बरगू संवत 2074–2077 खाता सं0 नया 40

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये समन्न की गई । वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा लोक अदालत की भावना अनुसार उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण की पहचान वकील रामबाबु दाधीच द्वारा कर वकालतनामा पेश किया। राजीनामा बाद जाँच तस्दीक कर शा०फा० किया गया। वकील वादी द्वारा निवेदन किया की प्रकरण में पक्षकारान् द्वारा राजीनामा प्रस्तुत हो चुका है। पत्रावली में कोई जवाब व अन्य साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। अतः मुताबिक राजीनामा प्रकरण का निस्तारण कर डिकी/निर्णय जारी किये जाने बाबत् निवेदन किया।

पत्रावली बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, माल ग्राम बरगू तह० दीगोद नकल जमाबंदी सम्वत् 2074–77, खाता संख्या नया 41 व पुराना 39. माल ग्राम बरगू तह० दीगोद नकल जमाबंदी सम्वत् 2074–77, खाता संख्या नया 41 व पुराना 39, माल ग्राम बरगू तह० दीगोद नकल जमाबंदी सम्वत् 2074–77, खाता संख्या नया 42 व पुराना 40 में वादी एवं प्रतिवादीगण बतोर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। सभी खातेदारान को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपने हक अधिकारो की घोषणा व अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवाने का अधिकार हैं। चूंकि पक्षकारो द्वारा आपसी लोक अदालत की भावना अनुसार प्रकरण में राजीनामा पेश किया है।

पत्रावली में दिनांक 30.07.2024 को पदाकरान् द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में स्थान काश्तकारी अधिनियम से राजीनामा अस्वीकार कर पत्रावली वास्ते जवाब नियत की गई।

पत्रावली में दिनांक 21.10.2024 को प्रतिवादीगण द्वारा इकबालिगा जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 33 के मध्य मौके पर आपसी सहमति से बटवारा हो रहा है जिसके अनुसार बटवारे में प्रस्तुत भूमि पर अपने अपने हिस्से में काबिज है। वादी व प्रतिवादी न. 1 लगायत 33 के मध्य राजीनामा हो चुका है व कब्जे में प्राप्त भूमि को उनके नाम करने में कोई आपत्ति नहीं है जिससे उक्त वाद मौके पर कब्जे के अनुसार व राजीनामा अनुसार प्राथमिक डिकी फरमाते हुए व तहसीलदार दीगोद से बटवारा रिपोर्ट प्राप्त कर वाद वादी डिकी फरमाई जाना न्याय संगत है। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी हेतु नियत की गई।

पत्रावली में साक्ष्यवादी मे वादी रामस्वरूप का शपथपत्र हुआ। प्रकरण में ओर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही होने पर पत्रावली में साक्ष्यवादी बंद की गई। वकील वादी द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से इकबालिया जवाबदावा पेश हो रहा है अतः साक्ष्यप्रतिवादी की आवश्यक्ता नहीं है। अतः पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई।

पत्रावली बहस सुनी गई। वकील पक्षकारान् द्वारा बहस में निवेदन किया कि दिनांक 21.10.2024 को प्रतिवादीगण द्वारा इकबालिया जवाब दावा हो चुका है। वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 33 के मध्य मौके पर आपसी सहमति से बटवारा हो रहा है जिसके अनुसार बटवारे में प्रस्तुत भूमि पर अपने अपने हिस्से मे काबिज है। वादी व प्रतिवादी न. 1 लगायत 33 के मध्य राजीनामा हो चुका है व कब्जे में प्राप्त भूमि को उनके नाम करने में कोई आपत्ति नही है जिससे उक्त वाद मौके पर कब्जे के अनुसार व राजीनामा अनुसार प्राथमिक डिकी फरमाते हुए व तहसीलदार दीगोद से बटवारा रिपोर्ट प्राप्त कर वाद वादी प्राथमिक डिकी किया जावे।

उभयपक्ष को सुना जाकर बाद अवलोकन परिणामतः वाद वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता की सहमति के आधार पर अपने हिस्से अनुसार पृथक पृथक खातेदार दर्ज करवाने के कथन को स्वीकार किया जाकर ग्राम बरगू तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 121 की 2–93 हेक्टर, खसरा नम्बर 248 की 0–39 हेक्टर, खसरा नम्बर 249 की 0–14 हेक्टर, खसरा नम्बर 265 की 0–16 हेक्टर, खसरा नम्बर 292 की 0–12 हेक्टर, खसरा नम्बर 382 की 0–85 हेक्टर, खसरा नम्बर 384 की 1–47 हेक्टर कुल 7 किता की 6–06 हेक्टर एवम् खसरा नम्बर 171 की 2–84 हेक्टर भूमि तथा खसरा नम्बर 129 की 1–71 हेक्टर, खसरा नम्बर 131 की 0–30 हेक्टर, खसरा नम्बर 132 की 0–19 हेक्टर, खसरा नम्बर 164 की 0–22 हेक्टर, खसरा नम्बर 165 की 0–29 हेक्टर, खसरा नम्बर 310/467 की 0–02 हेक्टर कुल 6 किता की 2–73 हेक्टर एंव खसरा नम्बर 112 की 1–00 हेक्टर भूमि में राजस्व मण्डल के नियम 18–20 के तहत प्रकरण में दिनांक 07.01.2025 को प्राथमिक निर्णय डिकी जारी की जाकर तहसीलदार दीगोद से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाया गया।

प्राथमिक निर्णय अनुसार तहसीलदार दीगोद से पत्रांक भू0अभि0/2025/1270 दिनांक 16.04.2025 से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी न0 27 से 33 की ओर से प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत उज्रदारी इस बाबत पेश किया की वादी व प्रतिवादीगण न0 1 लगायत 33 के शामलाती खाते में ग्राम बरगू तहसील दीगोद के खसर ान0 157 रकबा 6.05 हैक्टर भूमि में से वादी व प्रतिवादी न0 1 ता 26 का नाम हटाया जाकर वादी व प्रतिवादी न0 1 ता 26 के हिस्से की भूमि को प्रतिवादी न0 27 ता 32 के नाम 1/2 हिस्से से व प्रतिवादी न0 33 के नाम 1/2 हिस्से दर्ज किया जाना आवश्यक क्योंकी उक्त भूमि पारिवारिक विभाजन में प्रतिवादी न0 27 ता 33 के कब्जे काश्त चली आ रही है। उज्रदारी प्रार्थना पत्र पर वादी अधिवक्ता द्वारा अनापत्ति बाबत हस्ताक्षर किये जाने से प्रार्थना पत्र उज्रदारी स्वीकार किया गया। वादी व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया व आदेशिका पर प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करने का नोट अंकित किया गया है।

यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण ने तहसीलदार दीगोद से प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रकट करते हुए फाईनल डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया जो स्वीकार किया गया।

बहस उभयपक्ष अधिवक्ता की सुनी गयी। वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता ने तहसीलदार दीगोद से प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर सहमति से वाद डिक्री करने पर कोई आपत्ति नही की है। राजस्व रिकॉर्ड एवं दस्तावेज एवं बहस वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता एवं प्रस्तुत प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का गहन अध्ययन व मनन किया गया। उभय पक्ष की ओर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रकट करने के आधार पर वादी एवं प्रतिवादीगण का विभाजन किये जाने योग्य है।

निम्नानुसार विवादित भूमि में वादी व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रकट करने पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है:-

| क्र0 सं0 | नाम खातेदार | ख0नं0 | रकबा(है0) | दिशा | वादी / प्रतिवादी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रामस्वरूप पुत्र रामकिशन जाति धाकड निवासी बरगू | 112/1<br>121/1<br>171/1<br>249/1<br>384/1<br>-----<br>किता 5<br>----- | 0.25<br>0.3662<br>0.1775<br>0.035<br>0.3675<br>------<br>1.1962 है0<br>------ | मध्य<br>दक्षिण पश्चिम<br>पूर्व<br>दक्षिण मध्य<br>उत्तर पूर्व | वादी<br>वादी<br>वादी<br>वादी<br>वादी |
| 2 | रामनारायण पुत्र रामकिशन जाति धाकड सा0 बरगू | 112/2<br>129/1<br>171/2<br>384/2<br>310\1<br>467<br>249<br>1<br>-----<br>किता<br>----- | 0.25<br>0.4275<br>0.1775<br>0.3675<br>0.01<br><br>0.035<br>-----<br>1.2675 है0<br>------ | दक्षिण<br>दक्षिण<br>पश्चिम<br>द0 पूर्व<br>मकान पक्का<br><br>दक्षिण | प्रतिवादी |
| 3 | नन्द किशोर पुत्र ग्यारसा जाति धाकड सा0 बरगू रहन इलाहबाद बैंक शाखा | 121/2<br>164/1<br>165/1<br>171/3<br>249/2<br>265/1<br>384/3<br>-----<br>किता 7 | 0.7325<br>0.11<br>0.145<br>0.355<br>0.35<br>0.08<br>0.3675<br>-----<br>2.14 है0 | मध्य<br>दक्षिण<br>द0 पश्चिम<br>पश्चिम<br>मध्य<br>दक्षिण<br>उत्तर पूर्व | प्रतिवादी |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | मोहन, राजेन्द्र, राधेश्याम पुत्र सूरजमल जाति धाकड सा0 बरगू हिस्सा बराबर | 121/3<br>-----<br>किता 1<br>----- | 1.465<br>-----<br>1.465 है0<br>----- | पूर्व | प्रतिवादी | |
| 5 | सत्यनारायण पुत्र रामकिशन जाति धाकड सा0 बरगू | 112/3<br>129/2<br>132/1<br>171/4<br>292/1<br>131/1<br>-----<br>किता 6<br>----- | 0.2530<br>0.4275<br>0.095<br>0.1775<br>0.06<br>0.15<br>-----<br>1.163 है0<br>----- | उत्तर<br>उत्तर<br>दक्षिण<br>पश्चिम मध्य<br>उत्तर<br>दक्षिण | प्रतिवादी | |
| 6 | बलराम पुत्र ग्यारस्या जाति धाकड सा0 बरगू रहन इलाहबाद बैंक शाखा कोटा | 129/3<br>164/2<br>165/2<br>171/5<br>249/3<br>265/2<br>384/4<br>-----<br>किता 7<br>----- | 0.855<br>0.110<br>0.145<br>0.355<br>0.035<br>0.08<br>0.3675<br>-----<br>1.9475 है0<br>----- | पूर्व<br>उत्तर<br>उत्तर पश्चिम<br>पूर्व<br>उत्तर<br>उत्तर<br>दक्षिण पश्चिम | | |
| 7 | कुंजबिहारी पुत्र रामकिशन जाति धाकड सा0 बरगू डंगावद | 112/4<br>121/4<br>131/2<br>132/2<br>171/6<br>292/2<br>310\2<br>467<br>-----<br>किता 7<br>----- | 0.25<br>0.3662<br>0.15<br>0.095<br>0.1775<br>0.06<br>0.01<br><br>-----<br>1.1087 है0<br>----- | म0उत्तर<br>उत्तर<br>उत्तर<br>उत्तर<br>पूर्व<br>दक्षिण<br>मकान पक्का | | |
| 8 | बिरधीलाल, मोडूलाल, भीमराज हि0 बरा0 पुत्रान लश्मीनारायण जाति धाकड सा0 बरगू | 248<br>382<br>-----<br>किता 2<br>----- | 0.39<br>0.85<br>-----<br>1.24 है0<br>----- | | | |
| 9 | मुरलीधर पुत्र रामनाथ जाति धाकड बरगू | 171/7<br>----- | 1.42<br>----- | दक्षिण | | |

तहसीलदार दीगोद से वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तावित किया गया:—

ग्राम बरगू तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 121 की 2—93 हेक्टर, खसरा नम्बर 248 की 0—39 हेक्टर, खसरा नम्बर 249 की 0—14 हेक्टर, खसरा नम्बर 265 की 0—16 हेक्टर, खसरा नम्बर 292 की 0—12 हेक्टर, खसरा नम्बर 382 की 0—85 हेक्टर, खसरा नम्बर 384 की 1—47 हेक्टर कुल 7 किता की 6—06 हेक्टर एवम् खसरा नम्बर 171 की 2—84 हेक्टर भूमि तथा खसरा नम्बर 129 की 1—71 हेक्टर, खसरा नम्बर 131 की 0—30 हेक्टर, खसरा नम्बर 132 की 0—19 हेक्टर, खसरा नम्बर 164 की 0—22 हेक्टर, खसरा नम्बर 165 की 0—29 हेक्टर, खसरा नम्बर 310/467 की 0—02 हेक्टर कुल 6 किता की 2—73 हेक्टर एंव खसरा नम्बर 112 की 1—00 हेक्टर भूमि में खातेदारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव सभी पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किया जो निम्नानुसार हे:—

| क्र0 सं0 | नाम खातेदार | ख0नं0 | रकबा(है0) | दिशा | वादी/प्रतिवादी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रामस्वरूप पुत्र रामकिशन जाति धाकड निवासी बरगू | 112/1<br>121/1<br>171/1<br>249/1<br>384/1<br>—————<br>किता 5<br>————— | 0.25<br>0.3662<br>0.1775<br>0.035<br>0.3675<br>——————<br>1.1962 है0<br>—————— | मध्य<br>दक्षिण पश्चिम<br>पूर्व<br>दक्षिण मध्य<br>उत्तर पूर्व | वादी<br>वादी<br>वादी<br>वादी<br>वादी |
| 2 | रामनारायण पुत्र रामकिशन जाति धाकड सा0 बरगू | 112/2<br>129/1<br>171/2<br>384/2<br>310\1<br>467<br>249<br>1<br>—————<br>किता 6<br>————— | 0.25<br>0.4275<br>0.1775<br>0.3675<br>0.01<br><br>0.035<br>—————<br>1.2675 है0<br>—————— | दक्षिण<br>दक्षिण<br>पश्चिम<br>द0 पूर्व<br>मकान पक्का<br><br>दक्षिण | प्रतिवादी |
| 3 | नन्द किशोर पुत्र ग्यारसा जाति धाकड सा0 बरगू रहन इलाहबाद बैंक शाखा | 121/2<br>164/1<br>165/1<br>171/3<br>249/2<br>265/1<br>384/3<br>—————<br>किता 7<br>————— | 0.7325<br>0.11<br>0.145<br>0.355<br>0.35<br>0.08<br>0.3675<br>—————<br>2.14 है0<br>—————— | मध्य<br>दक्षिण<br>द0 पश्चिम<br>पश्चिम<br>मध्य<br>दक्षिण<br>उत्तर पूर्व | प्रतिवादी |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | किता 2<br>———— | 1.42 है0<br>————— | | |

अतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। उज्रदारी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से ग्राम बरगू तहसील दीगोद के खसरा न0 157 रकबा 6.05 हैक्टर भूमि में से वादी व प्रतिवादी न0 1 ता 26 का नाम हटाया जाकर वादी व प्रतिवादी न0 1 ता 26 के हिस्से की भूमि को प्रतिवादी न0 27 ता 32 के नाम 1/2 हिस्से से व प्रतिवादी न0 33 के नाम 1/2 हिस्से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार दीगोद का निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व वसूल करे व निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा में तरमीम की जावे। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

# मूल वाद में अन्तिम डिक्री

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

उनवान

1– रामस्वरूप आत्मज रामकिशन जाति धाकड निवासी बरगू तहसील दीगोद (वादी)

**बनाम**

1–सत्यनारायण आत्मज रामकिशन
2– रामनारायण आत्मज रामकिशन
3– कुन्जबिहारी आत्मज रामकिशन
4–मन्जू बाई पुत्री रामकिशन
5–सोसरबाई पुत्री रामकिशन
6– रामकन्या उर्फ कन्याबाई पुत्री रामकिशन
7–बलराम आत्मज ग्यारस्या
8–नन्द किशोर आत्मज ग्यारस्या
9– अयोध्या बाई उर्फ अजोध्या बाई पुत्री ग्यारस्या
10– कान्ही बाई उर्फ खानी बाई पुत्री ग्यारस्या जाति धाकड निवासी बरगू तहसील दीगोद
11– दाखां पत्नि सुरजमल (मृतक)
12– पार्वती पुत्री सुरजमल
13–सोहनलाल पुत्र सुरजमल
14–राजेन्द्र प्रसाद पुत्र सुरजमल
15–राधेश्याम पुत्र सुरजमल
16– बूची उर्फ गुलाबबाई पुत्री लक्ष्मीनारायण
17– बिरधीलाल आत्मज लक्ष्मीनारायण
18– भीमराज आत्मज लक्ष्मीनारायण
19– मोडूलाल आत्मज लक्ष्मीनारायण
20– सुगना पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति धाकड निवासी ढंगावद तहसील दीगोद
21– ममता पुत्री लटूरलाल
22– रेखा पुत्री लटूरलाल
23– सुमित्रा पुत्री लटूरलाल
24– श्यामबाई पुत्री लटूरलाल
25–हंसराज पुत्र लटूरलाल जाति धाकड निवासी भाडाहेडा तह० दीगोद
26– मुरलीधर आत्मज रामनाथ जाति धाकड निवासी ढंगावद तह० दीगोद
27– अमरलाल आत्मज ओगडी लाल
28– किशनगोपाल आत्मज ओगडीलाल
29– बाबूलाल आत्मज ओगडीलाल
30– मूर्ति पुत्री ओगडीलाल

- सुगना पुत्री ओगडीलाल
2– स्यानी बाई पत्नि ओगडीलाल
33– लक्ष्मीनारायण आत्मज फून्दया जाति धाकड निवासी बरगू तहसील दीगोद।
34– राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार दीगोद।

(प्रतिवादीगण)

वादी की ओर से – श्री शिवप्रसाद शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से– श्री राम बाबू दाधीच एडवोकेट

## वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

मिसल नं 186 / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादिनी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने तहसीलदार दीगोद से प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर सहमति से वाद डिक्री करने पर कोई आपत्ति नही की है। वादीगण की पहिचान वादी अधिवक्ता से एवं प्रतिवदी की पहिचान प्रतिवादी अधिवक्ता से करवाई गयी। राजस्व रिकॉर्ड एवं प्रस्तुत दस्तावेज एवं उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस एवं प्रस्तुत प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का गहन अध्ययन व मनन किया गया। उभय पक्ष की ओर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रकट करने के आधार पर वादी एवं प्रतिवादीगण का विभाजन किये जाने योग्य है।

निम्नानुसार विवादित भूमि में वादी व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रकट करने पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है:–

| क्र0 सं0 | नाम खातेदार | ख0नं0 | रकबा(है0) | दिशा | वादी / प्रतिवादी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रामस्वरूप पुत्र रामकिशन जाति धाकड निवासी बरगू | 112 / 1<br>121 / 1<br>171 / 1<br>249 / 1<br>384 / 1<br>———<br>किता 5<br>——— | 0.25<br>0.3662<br>0.1775<br>0.035<br>0.3675<br>———<br>1.1962 है0<br>——— | मध्य<br>दक्षिण पश्चिम<br>पूर्व<br>दक्षिण मध्य<br>उत्तर पूर्व | वादी<br>वादी<br>वादी<br>वादी<br>वादी |
| 2 | रामनारायण पुत्र रामकिशन जाति धाकड सा0 बरगू | 112 / 2<br>129 / 1<br>171 / 2<br>384 / 2<br>310\1<br>467<br>249<br>1<br>———<br>किता<br>——— | 0.25<br>0.4275<br>0.1775<br>0.3675<br>0.01<br><br>0.035<br>———<br>1.2675 है0<br>——— | दक्षिण<br>दक्षिण<br>पश्चिम<br>द0 पूर्व<br>मकान पक्का<br><br>दक्षिण | प्रतिवादी |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | नन्द किशोर पुत्र ग्यारसा जाति धाकड सा0 बरगू रहन इलाहबाद बैंक शाखा | 121/2<br>164/1<br>165/1<br>171/3<br>249/2<br>265/1<br>384/3<br>-----<br>किता 7<br>----- | 0.7325<br>0.11<br>0.145<br>0.355<br>0.35<br>0.08<br>0.3675<br>-----<br>2.14 है0<br>------ | मध्य<br>दक्षिण<br>द0 पश्चिम<br>पश्चिम<br>मध्य<br>दक्षिण<br>उत्तर पूर्व | प्रतिवादी |
| 4 | मोहन, राजेन्द्र, राधेश्याम पुत्र सूरजमल जाति धाकड सा0 बरगू हिस्सा बराबर | 121/3<br>-----<br>किता 1<br>----- | 1.465<br>-----<br>1.465 है0<br>------ | पूर्व | प्रतिवादी |
| 5 | सत्यनारायण पुत्र रामकिशन जाति धाकड सा0 बरगू | 112/3<br>129/2<br>132/1<br>171/4<br>292/1<br>131/1<br>-----<br>किता 6<br>----- | 0.2530<br>0.4275<br>0.095<br>0.1775<br>0.06<br>0.15<br>-----<br>1.163 है0<br>------ | उत्तर<br>उत्तर<br>दक्षिण<br>पश्चिम मध्य<br>उत्तर<br>दक्षिण | प्रतिवादी |
| 6 | बलराम पुत्र ग्यारस्या जाति धाकड सा0 बरगू रहन इलाहबाद बैंक शाखा कोटा | 129/3<br>164/2<br>165/2<br>171/5<br>249/3<br>265/2<br>384/4<br>-----<br>किता 7<br>----- | 0.855<br>0.110<br>0.145<br>0.355<br>0.035<br>0.08<br>0.3675<br>-----<br>1.9475 है0<br>------ | पूर्व<br>उत्तर<br>उत्तर पश्चिम<br>पूर्व<br>उत्तर<br>उत्तर<br>दक्षिण पश्चिम | |
| 7 | कुंजबिहारी पुत्र रामकिशन जाति धाकड सा0 बरगू डंगावद | 112/4<br>121/4<br>131/2<br>132/2<br>171/6<br>292/2<br>310\2<br>467 | 0.25<br>0.3662<br>0.15<br>0.095<br>0.1775<br>0.06<br>0.01 | म0उत्तर<br>उत्तर<br>उत्तर<br>उत्तर<br>पूर्व<br>दक्षिण<br>मकान पक्का | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | किता 7<br>----- | 1.1087 है0<br>------ | | |
| 8 | बिरधीलाल, मोडूलाल, भीमराज हि0 बरा0 पुत्रान लक्ष्मीनारायण जाति धाकड सा0 बरगू | 248<br>382<br>-----<br>किता 2<br>----- | 0.39<br>0.85<br>-----<br>1.24 है0<br>------ | | |
| 9 | मुरलीधर पुत्र रामनाथ जाति धाकड बरगू | 171/7<br>-----<br>किता 2<br>----- | 1.42<br>-----<br>1.42 है0<br>------ | दक्षिण | |

अतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। उज्रदारी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से ग्राम बरगू तहसील दीगोद के खसर न0 157 रकबा 6.05 हैक्टर भूमि में से वादी व प्रतिवादी न0 1 ता 26 का नाम हटाया जाकर वादी व प्रतिवादी न0 1 ता 26 के हिस्से की भूमि को प्रतिवादी न0 27 ता 32 के नाम 1/2 हिस्से से व प्रतिवादी न0 33 के नाम 1/2 हिस्से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार दीगोद का निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व वसूल करे व निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा में तरमीम की जावे। तद्नुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 25/12/25 को जारी किया गया।

| मिलान स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुद्दई | रूपयै | पैसे | मुदालयह | रूप्ये | पैसे |
| स्टाम्प वकालतनामा | 0 | 0 | स्टाम्प अर्जी | 0 | 0 |
| स्टाम्प वजूह सबूत | 0 | 0 | स्टाम्प अर्जी | 0 | 0 |
| महन्ताना वकील | 0 | 0 | महन्ताना वकील | 0 | 0 |
| खर्चा गवाहान | 0 | 0 | खर्चा गवाहान | 0 | 0 |
| बबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 0 | बबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 0 |
| मुत0 | 0 | 0 | मुत0 | 0 | 0 |
| थ्मलान | 0 | 0 | मिलान | 0 | 0 |

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद